रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 1, 1995/माघ 12, 1916
No 63] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 1995/MAGHA 12, 1916

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1995

का.आ. 72(अ).—बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 (1984 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 36 में यह उपबंध है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड के सभापति या अध्यक्ष का अथवा उप-सभापति या उपाध्यक्ष का पद एक ही समय पर धारण करने का पात्र नहीं होगा ;

और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (जिसे इसमें इसके पश्चात भा.रा.स. संघ कहा गया है) ने केन्द्रीय सरकार को यह अभ्यावेदन किया कि 3 फरवरी, 1994 को भा.रा.स.सं. के सभापति को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक (जिसे इसमें इसके

पश्चात् भा.रा.सं. बैं. कहा गया है) के अध्यक्ष के रूप में भी निर्वाचित किया गया है । और आगे यह अभ्यावेदन किया गया है कि भा.रा.स.सं. ने भा.रा.स. बैंक का उन्नयन किया है जो अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और भा. रा. स. सं. के सभापति, भा.रा.स. बैंक के शेयरपूंजी आधार पर की वृद्धि करने और बैंककारी कारबार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं ।

और भा.रा. सह. संघ के निदेशक बोर्ड के अनुरोध को स्वीकार करते हुए भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के दिनांक 5-8-94 की अधिसूचना सं. आर. 11017/7/94–एल. एण्ड एम. के तहत भा.रा.सह. संघ और भा.रा.सं. बैंक को चयन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक इस अधिनियम की धारा (36) के लागू होने से छूट प्रदान कर दी गयी है।

और आगे यह भी अनुरोध किया गया है कि भा.रा. स. बैंक के प्रशासनिक एवं पंजीकृत कार्यालय के लिए भूमि का चयन करने हेतु प्रयास किया जा रहा है ताकि यह अपना बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सके और भारतीय रिजर्व बैंक के मानक को पूरा करने के लिए 100.00 करोड़ रुपये की साम्य पूंजी एकत्रित करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं और बैंकिंग कारोबार के लिए अनुज्ञप्ति देने में भारतीय रिजर्व बैंक को थोड़ा और समय लग सकता है ।

और ऊपर वर्णित कारणों से और आरम्भिक प्रक्रमों में भा.रा.सं. बैंक के निर्बाध विकास को सुकर बनाने के लिए यह समीचीन समझा गया है कि भा.रा. सह. संघ के अध्यक्ष को एक ही समय में भा.रा.सह. बैंक के अध्यक्ष का पद भी धारण करने के लिए अनुमत किया जाये।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भा.रा.स. संघ और भा.रा.स. बैंक को उक्त अधिनियम की धारा 36 के उपबंधों से छूट देती है जिससे कि भा.रा.स. संघ का सभापति, अध्यक्ष के रूप में 3 फरवरी, 1995 से एक वर्ष की अवधि के लिए साथ-साथ अध्यक्ष, भा.रा.स. बैंक का पद धारण करने में समर्थ हो सके।

[सं. आर-11017/7/94–एल. एण्ड एम.]

के.एम. चड्ढा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

((Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 1995

S.O. 72(E).—WHEREAS section 36 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (51 of 1984) (hereinafter referred as the Act) provides that no person shall be eligible to hold, at the same time, office of President or Chairman or Vice President or Vice Chairman on the Board of more than one multi-State cooperative society ;

AND whereas the National Cooperative Union of India (hereinafter referred to as NCUI) had represented to the Central Government that the President of NCUI had also been elected as Chairman of National Cooperative Bank of India (hereinafter referred to as NCBI) on the 3rd February, 1994 and that the NCUI promoted NCBI which is still in its infancy and the President of NCUI is likely to play an active role in augmenting the share capital base of NCBI and obtaining licence from Reserve Bank of India for Basking business ;

AND whereas the request of the Board of Directors of NCUI was considered and exemption from the application of Section 36 of the Act was granted to NCUI and NCBI for a period of one year from the date of election vide Notification No. R-11017/7/94-L&M dated 5-8-94 of Government of India, Ministry of Agriculture ;

AND whereas it has again been requested that efforts are being made to locate registered and administrative offices of NCBI, to obtain licence from Reserve Bank of India for commencing banking business, to mobilise equity of Rs. 100.00 crores as per norms of Reserve Bank of India and that the Reserve Bank of India is likely to take some more time for granting licence for banking business ;

AND whereas for the aforementioned reasons, and to facilitate the smooth growth of NCBI in initial stages, it has been considered expedient to allow the President of NCUI to hold the office of Chairman of NCBI at the same time;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 99 of the said Act, the Central Government hereby exempts the NCUI and NCBI from the provisions of section 36 of the said Act so as to enable the President of NCUI to hold office simultaneously as Chairman, NCBI for a period of one year from the 3rd February, 1995.

[No. R-11017|7|94-L&M]

K. M. CHADHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995